



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 2010/अग्रहायण 4, 1932

No. 642]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2010/AGRAHAYANA 4, 1932

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 926(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 9 जुलाई, 2010 में सा.का.नि. 592(अ), तारीख 9 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना के हिंदी पाठ के पृष्ठ 2 पर स्तंभ (12) के अधीन "ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक (दूर संचार)" और पृष्ठ सं. 3 पर स्तंभ (12) के अधीन "सहायक क्षेत्र अधिकारी (दूर संचार)" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, "क्षेत्र सहायक (दूर संचार)" पढ़ें।

[फा. सं. 3/8/एसएसबी/सीएससी/क्षेत्र/समूह 'ग'/एसएफएस/98]

बरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सा.का.नि. 592(अ) तारीख 9 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th November, 2010

G.S.R. 926(E).—In the English version of the Notification of the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th July, 2010 *vide* number G.S.R. 592(E), dated the 9th July, 2010, at page 9, under column (12), for "Senior Field Assistant (Telecommunication)" at both the places, read "Field Assistant (Telecommunication)".

[F. No. 3/8/SSB/CSC/Area/Gp. 'C'/SFS/98]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers.)

Note:—The principal notification was published *vide* number G.S.R. 592(E) dated the 9th July, 2010.